

# FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

2018/0119

अदालत

शुशालाराम

नियम

वाजाराम

किस्म मुकदमा

शुशालाराम

बनाम

नं. 31

सन

2018

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म  
की तामील में जारी हुए

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

1/6/18

वादी की ओर से यह वाद पत्र  
अलगत द्वारा उक्त मुकदमा के तहत  
जमील जी उम्मेद सिंह ने अतिवादीगण  
के विरुद्ध पेश किया जो दर्ज  
रजिस्टर्ड है। अतिवादीगण को सम्मन  
जारी होकर फावली दिनांक 2/6/18  
को पेश हो।

सहायक कलेक्टर  
(A.D.O.) बालोतरा

7/6/18

फावली आज राजस्व लोक अदालत  
केम्प रापरा में पेश हुई। वादी  
शुशालाराम व अतिवादी सरव्य 1 ता 3  
वाजाराम, वीजाराम, विजय सुभार उपस्थित।  
वादी ने वादपत्र पेश कर जाहिर  
मिया की जारी में खेत सरवरा नं.  
702/280 रकबा 103 बीघा 13 बिन्ना सरहद  
मीजा सुपुरा की भूमि हमारी पुतली  
है जो भूमि स्व. मेराम जी के अतिवादी  
की थी, सन्पश्चात् जसियों प्योतगी नान्कण  
के वाजाराम जी के नाम अर्जित है व  
वाजाराम के हम वादीगण व अतिवादी  
सम्पत् 2 व 3 जायदा पुत्र-पुत्रियां

2/9/18

वीजाराम  
विजयकुमार

2/9/18



प्रावली चेजल सुमार होमर  
दाखिल करार हो।

निर्देश राजप्य लोक अदालत  
केम्प शपरा में सुनाया गया।

(भागीरथ राम)

पैठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट केम्प-2018  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
बालोतस केम्प.....